



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

20 आश्विन 1934 (श10)
(सं0 पटना 549) पटना, शुक्रवार, 12 अक्टूबर 2012

विधि विभाग

अधिसूचना

5 अक्टूबर 2012

सं0-सी0/एल0ए0-7/2008-7394/जे0—विधिक सेवा प्राधिकार अधिनियम, 1987 (1987 का अधिनियम संख्या-39) के अन्तर्गत बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार नियमावली, 1996 के नियम-10 के अन्तर्गत जिला विधिक सेवा प्राधिकार **गया** के समिति का पुर्नगठन निम्नांकित रूप से किया जाता है :-

- | | | | |
|-----|--|---|-----------|
| (क) | जिला एवं सत्र न्यायाधीश | - | अध्यक्ष |
| (ख) | जिला दण्डाधिकारी | - | उपाध्यक्ष |
| (ग) | आरक्षी अधीक्षक | - | सदस्य |
| (घ) | जिला सरकारी वकील | - | सदस्य |
| (ङ) | जिला लोक अभियोजक | - | सदस्य |
| (च) | जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष | - | सदस्य |
| (छ) | उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राज्य सरकार द्वारा नाम निर्देशित एक सामाजिक कार्यकर्ता, जो कमजोर वर्ग के उत्थान में लगा हो- | | |
| | श्रीमती (डा0) नीलम कुमार महाजन | - | सदस्य |
| (ज) | उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राज्य सरकार द्वारा नाम निर्देशित जिला अधिवक्ता संघ के अनु0जाति/जनजाति का एक सदस्य- | | |
| | श्री कमलेश कुमार | - | सदस्य |

- (झ) उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राज्य न्यायिक सेवा के पदाधिकारी, जो अवर न्यायाधीश की पंक्ति के नीचे का न हो कि नियुक्ति राज्य प्राधिकार द्वारा की जायेगी - सचिव
2. प्राधिकार समिति का कार्यकाल दो वर्षों की होगी।
3. अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से प्रभावी होगी।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
विनोद कुमार सिन्हा,
सरकार के सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 549-571+500-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>